श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–09.01.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पटना समाहरणालय के सभा कक्ष में पटना प्रमंडल स्थित जिलों के राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

- उपस्थिति :–

  यथा संधारित पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम माननीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं बिन्दुवार समीक्षा की गई :–

- **वासगीत पर्चा :–**

माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे भू–धारी जो सरकारी भूमि के पर्चा/वासगीत पर्चा की भूमि से बेदखल हैं उसे ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत दखल कब्जा दिलाया जाय। इसे मार्च, 2015 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक मंगलवार को शिविर लगाकर पांच राजस्व ग्राम की समस्या निपटायें तथा इस कार्य योजना के लक्ष्य को शतप्रतिशत पूरा करें। सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को इस लक्ष्य प्राप्ति में अहम भूमिका होगी तथा वे पूर्ण जिम्मेदारी तथा अचूक रूप से पूरा करें जहां जरूरत हो वहां 03 डिसमील जमीन रैयत से खरीदकर, जिस दर पर किसान बेचते हैं, उसी दर पर किसान से खरीद कर दिये जाने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करें तथा बिचौलिये पर भी विशेष नजर रखें।

माननीय मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि सरकार की विशेष योजना के तहत वैसे भूमिहीन परिवारों को अब इस योजना के तहत 03 डिसमिल के स्थान पर 05 डिसमिल जमीन देने का निर्णय लिया गया है और उनके जमीन तक सम्पर्क पथ योजना के तहत सड़क बनाने का भी कार्य किया जाय। इसके अलावा क्रय कर क्लस्टर में बसाए गए परिवारों के लिए सामुदायिक विकास भवन बनाने की भी दिशा में कार्रवाई की जाएगी। महादलित, पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के लोगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

- **ऑपरेशन दखल दहानी**

माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि "ऑपरेशन दखल देहानी" के तहत सभी अंचलों में नियमित शिविर लगाया जाय तथा अधिक से अधिक मामलों को निपटाया जाय। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शिविरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि मार्च, 2015 तक बेदखली का एक भी मामला लंबित न रहे। इसका अनुपालन हर हार में सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय तथा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनरों के माध्यम से भी आमजनता को अवगत कराया जाय जिसके लिए आकस्मिक निधि से राशि आवंटन विभाग द्वारा दिया है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाय।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि किसी–किसी जिला में अंचलाधिकारी द्वारा गड्ढे की जमीन का पर्चा वितरित कर दिया हैं वैसे जमीन को मनरेगा योजना के अन्तर्गत भरवाकर दखल–कब्जा दिला दें। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ने बताया कि गड्ढे की जमीन अथवा अनुपयोगी भूमि किसी भी परिस्थिति में महादलित को आबंटित नहीं करना है। पूरी संवेदना के साथ मनुष्य को मनुष्य समझकर महादलित को वास योग्य जमीन उपलब्ध करावें। लगातार .विशेष शिविर का आयोजन किया जाय। प्रधान सचिव के द्वारा ऑपरेशन दखल देहीन से संबंधित पत्र सं0–594 दिनांक–08.09.14 की अक्षरथः जानकारी सभी उपस्थित को भी दे।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि यदि पर्चा किसी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है तो वैसे मामलों को छोड़कर शेष पर्चा की जमीन जिससे पर्चाधारी बेदखल हैं, वैसे मामलों को 31 मार्च 2015 तक कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

माननीय पूर्व सासंद श्री रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि माननीय मंत्री महोदय मुख्यतः निम्न बिन्दु पर जानकारी दे रहा हूँ कि :–

- बहुत सारे मुसहर जाति के ऐसे परिवार हैं जिन्हें पूर्व में पर्चा दिया गया है, लेकिन बाढ़ आगजनी के कारण अब उनके पास पर्चा नहीं है।
- भूदान की जमीन के संबंध में राज्य कमिटि की जिम्मेवारी है कि जितनी जमीन मिली है उसे जिलाधिकारी को सुपुर्द करें।
- भू–हदबंदी की अधिशेष भूमि पर वितरित पर्चा पर पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाना।

इन्होंने यह भी बताया कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के नुनियाचक गाँव, दुल्हिनबाजार प्रखंड में जमींदार नावल्द हो गए। उस पर किसान खेती करने लगे जो बेदखल कर दिए गए हैं। भोजपुर जिला के सारिकपुर के लोगों को नारायणपुर में एवं नारायणपुर गाँव के लोगों को सारिकपुर में जमीन का पर्चा दिया गय है जिससे पर्चाधारी बेदखल है। गढ़नीबाजार में भी पुल के नीचे महादलित को जमीन दिया है जिसे बिक्री कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ऐसे मामलों को दखल–कब्जा दिलाया जाय।

प्रधान सचिव ने बताया कि पर्चाधारियों को जमीन दिया जाता है वह हस्तान्तरण होता है। अगर किसी को बेच दिया है और उसकी जमाबंदी कायम हो गयी हो तो जमाबंदी रद्द करने की शक्ति अपर समाहर्त्ता में निहित है। ऐसे मामले को अपर समाहर्त्ता के संज्ञान में लाया जाय। नुनियाचक के नावल्द जमींदार की जमीन सरकार के पक्ष में कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया जाय।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

माननीय पूर्व सांसद श्री रामेश्वर जी ने बताया कि नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय में एक मृत नदी है जिससे बालू निकाला जा रहा है जिसके कारण उसका स्वरूप बदल जाएगा। इसे तत्काल रोकने हेतु

अनुरोध किया। प्रधान सचिव ने समाहर्त्ता, नालन्दा को निदेश दिया कि इसे स्वयं देख लें एवं अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनुपालन–समाहर्त्ता, नालन्दा

दलित महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि रोहतास जिला के अकोढ़ी गोला, बक्सर जिला के इटाही गाँव में बास भूमि का पर्चा दिया गया, लेकिन प्रमाण–पत्र स्वरूप सही पेपर नहीं दिया गया है। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा निदेशित किया गया कि जिन गरीबों को वास भूमि का पर्चा दिया जाता है, उसी वक्त परवाना के साथ वास भूमि का खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी आदि के संबंध में पूर्ण विवरणी संबंधी प्रमाण–पत्र भी दिया जाय।

समाहर्त्ता, पटना ने सभी अंचलाधिकारियों को सुझाव दिया कि वासगीत पर्चा के मामले में भू–धारी को नोटिस करें और वह नोटिस अभिलेख में लगा होना चाहिए। साथ ही अंचल निरीक्षक/प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि पर्चा के आवेदक एवं भूमि के भू–धारी के बीच रैयत एवं भू–धारी का संबंध हो।

समाहर्त्ता, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर ने सुझाव दिया कि परवाना के साथ, लगान रसीद एवं दखल–कब्जा दिलाया जाय। समाहर्त्ता, भोजपुर ने यह भी सुझाव दिया कि इच्छा शक्ति का अभाव है। बेदखलों की पहचान कर दखल–कब्जा दिलाना प्रमुख कार्य है। समाहर्त्ता, बक्सर ने सुझाव दिया कि कम से कम छः माह के लिए अंचल में डी0ए0पी0 गार्ड की प्रतिनियुक्ति सरकार स्तर से कर दी जाती है तो दखल–कब्जा दिलाने में बल की प्रतिनियुक्ति कराने का कार्य में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकता है। समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने में सरकारी राशि का व्यय होता है उसकी भरपायी नहीं हो रही है।

प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि दखल–कब्जा दिलाने में संवेदनशीलता आवश्यक है तथा इस हेतु पुलिस अधीक्षक से बल प्राप्त किया जाय।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

➢ **<u>महादलित विकास योजना</u>**

प्रधान सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत विभाग द्वारा आवंटित राशि को पटना जिला छोड़कर सभी जिला द्वारा खर्च किया गया है। इस योजनान्तर्गत पटना जिला को चार करोड़ से अधिक राशि आवंटित है। अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा यह बताया गया कि 15 जनवरी 2015 तक खर्च हो जाएगा। जिले को प्राप्त लक्ष्य 10747 के विरूद्ध 7962 लाभार्थी को ही लाभान्वित किया जा सका है। समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि अभियान बसेरा के तहत एक हजार से अधिक पर्चा दो माह के अन्दर बांटा गया है।

मार्च 2015 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सम्पर्क पथ का भी प्रावधान करें इस हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

➢ **अभियान बसेरा**

प्रधान सचिव ने बताया कि "अभियान बसेरा" के तहत अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। सभी समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता तय कर लिया जाय। इसके तहत जमीन खरीदने के लिए विभाग द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है।

विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत वैसे अन्य सुयोग्य श्रेणी के लोगों को सर्वेक्षण कर प्राथमिकता देना है –

- ❖ वैसे लोग जिन्हें वास भूमि नहीं है।
- ❖ वास के लिए जमीन पूर्व में दी गई है, लेकिन वर्तमान में परिवार बढ़ गया है।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि सड़क के किनारे वास भूमि नहीं देना है। इन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें प्राथमिकता दिया जाय जिनके पास वास भूमि नहीं है। वैसे परिवार को दूसरे स्थान पर रखा जाय जिन्हें पूर्व में वास भूमि दिया गया था और अब परिवार बढ़ गया है। इन्होंने निश्चित रूप से 31 मार्च 2015 तक सर्वेक्षण का एक चरसा पूरा करने का निदेश दिया। टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत भी सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका व्यय 31 मार्च 15 तक करने का निदेश सभी संबंधित को दिया गया ।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

➢ **बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति 2014**

प्रधान सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत परित्यक्त परिवार जिन्हें देखने वाला कोई नहीं हो तथा शहरी क्षेत्र में वास भूमि देने हेतु वैसे परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में अंकित है। सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च, 2015 तक किया जाय कि इस हेतु कुल कितने परिवार हैं तथा कितनी जमीन की आवश्यकता है इसे प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल)

➢ **भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 :–**

प्रधान सचिव ने बताया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में इस अधिनियम के तहत दायर वादों का निपटारा 90 दिनों के अन्दर करने का प्रावधान है। ऐसा देखा जा रहा है कि भूमि

सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा इसे अनदेखी कर 90 दिनों के बाद भी निष्पादन करते हैं जो अतिगंभीर मामला है। 90 दिनों के बाद नालन्दा जिला में 127, भोजपुर में 197, बक्सर में 233, रोहतास में 348, कैमूर में 728 एवं पटना में 298 मामले निष्पादित किये गये है।

समीक्षा क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीपुर ,रा आशुलिपिक या समकक्ष कर्मी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापना करने का अनुरोध किया । इसी प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पालीगंज द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ एक भी कर्मी नहीं है। मामलों के निष्पादन में काफी कठिनाई होती है। इन्होंने भी कर्मी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापना का अनुरोध किया। प्रधान सचिव द्वारा सम्बन्धित समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता इस मामले को स्वयं देख लें एवं कार्रवाई करें।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सप्ताह में कम से कम पाँच दिन न्यायालय का कार्य करें एवं न्यायालय का समय–सीमा भी तय करें। नोटिस में भी समय का उल्लेख करें ताकि उभय पक्षों को इसकी जानकारी हो सके। प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिवादी का गलत पता दिया जाता है तो प्रथम पक्ष पर भी न्यायालय द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित करें। इन्होनें निदेश दिया कि सभी अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता इस बिन्दु का सतत् अनुश्रवण करें ताकि समय–सीमा के अन्दर वादों का निष्पादन किया जा सके। लंबित मामलों की समीक्षा भूमि सुधार उपसमाहर्त्तावार करने के उपरान्त प्रधान सचिव ने कहा कि सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रशिक्षण दिया गया है परन्तु पुनः प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल)

➢ <u>दाखिल–खारिज :–</u>

प्रधान सचिव ने बताया कि दाखिल खारिज आर0टी0पी0एस0 के तहत किये जा रहे हैं। दाखिल–खारिज के मामले में बहुत मामले कालबाधित हो जा रहे है। पटना जिला में खासकर नौबतपुर, पुनपुन, फुलवारीशरीफ एवं सम्पतचक अंचल में ऐसे मामले अधिक है। कालबाधित होने के कारण के सम्बन्ध में अंचलाधिकारियों द्वारा प्रायः जमाबंदी पंजी का फटा होना बताया गया। प्रधान सचिव द्वारा शिविर न्यायालय पर बल देते हुए कहा गया कि जिलों में शिविर न्यायालय आयोजित किए गये हैं। शिविरों में दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन के उपरान्त बक्सर में 473, नालंदा में 547, रोहता समें 1718 मामले लंबित है। सबसे अधिक मामले पटना जिला में लंबित है। समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि सिंक्रोनाइजेशन आदि के कारण लंबित दिखाया जा रहा है। प्रधान सचिव के द्वारा निदेश दिया गया कि दाखिल–खारिज के मामलों का निष्पादन शिविर न्यायालय के माध्यम से किया जाय ताकि अधिक से अधिक मामला का निपटारा हो सके और सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल)

❖ राजस्व हल्का से सम्बन्धित शिविर न्यायालय –

प्रधान सचिव ने बताया कि पटना एवं भोजपुर जिला से शिविर न्यायालय का प्रतिवेदन अप्राप्त है। अन्य जिलों में किये गये शिविर न्यायालय निम्न प्रकार है :–

जिला का नाम	कुल शिविर	प्राप्त मामले	निष्पादित मामले	अस्वीकृत मामले	लंबित मामले
बक्सर	11	955	482	–	473
कैमूर	12	13634	13634	–	–
नालन्दा	38	847	300	–	547
रोहतास	60	2412	1547	167	1718

समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि 69 शिविर न्यायालय किये गये है जिसमें दाखिल–खारिज के काफी मामलों का निष्पादन किया गया।

प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि सभी जिला में लगातार शिविर न्यायालय आयोजित किये जाए। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता आयोजित शिविर न्यायालय का निश्चित रूप से दौरा करें। शिविर में वरीय पदाधिकारी की मौजूदगी का निष्पादन पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल)

➢ भू–हदबंदी :–

प्रधान सचिव ने बताया कि भू–हदबंदी अधिनियम के तहत भोजपुर जिला में 01 मामले में 16.26 डी0, बक्सर में 04 मामले 362.83 डी0, कैमूर में 11 मामले 437.56 डी0 (अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में 08 मामले तथा अपर समाहर्त्ता न्यायालय में 01 मामले सहित) नालंदा में 03 मामले 108.89 डी0, पटना में 01 मामले 41.72 डी0, रोहतास में 05 मामले जिसमें 02 मामले अपर समाहर्त्ता न्यायालय से सम्बन्धित लंबित है। अपर समाहर्त्ता, रोहतास ने बताया कि भू–हदबंदी के 02 मामलों में से एक अभिलेख मिला है जिसमें कार्रवाई चल रही है, दूसरा अभिलेख नहीं मिला है।

प्रधान सचिव द्वारा पृच्छा किये जाने पर उपस्थित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि सभी वादों में कार्रवाई/सुनवाई चल रही है। निदेशित किया गया कि मामले को निष्पादन की दिशा में आवश्यक पहल किया जाय।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल/अपर समाहर्त्ता, कैमूर, रोहतास एवं अनुमंडल पदाधिकारी, कैमूर)

❖ भू–हदबंदी अधिशेष भूमि का वितरण :–

प्रधान सिचव द्वारा निदेश दिया गया कि इस अधिनियम के तहत् वितरण योगय प्रतिवेदित भूमि को समाहर्त्ता स्वयं समीक्षा कर लें तथा वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल)

➢ गैरमजरूआ मालिक भूमि की बन्दोबस्ती :–

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिला में उपलब्ध गैरमजरूआ मालिक भूमि में से तिवरण के लिए शेष भूमि का रकवा का सत्यापन कराकर दिनांक–31.03.2015 तक सुयोग्य श्रेणी के बीच बन्दोबस्त करने की कार्रवाई की जाय।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

➢ भूदान :–

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि पटना जिला में 168.05 डी0, बक्सर में 151.13 डी0, कैमूर में 0.43 डी0 एवं नालन्दा जिला में 82.39 डी0 भूदान में प्राप्त भूमि में से वितरण के लिए विभाग को प्रतिवेदित है। सभी संबंधित समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि दिनांक–31.03.2015 के पूर्व सुयोग्य श्रेणी के बीच इसे वितरित करने की कार्रवाई की जाय।

बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भुदान कार्यालय में हजारों अभिलेख तैयार है, उसकी छाया प्रति कराकर संबंधित समाहर्त्ता अपने जिले में अभिलेख संधारित करा सकते है।

प्रधान सचिव ने बताया कि जिला से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति कराकर भूदान यज्ञ कमिटी संबंधित जिलों को उपलब्ध कराए। छाया प्रति कराने में प्रति पेज 0.40 पैसे की दर से कराने पर होने वाले कुल व्यय से संबंधित राशि विभाग भूदान यज्ञ कमिटी को उपलब्ध करा देगी। प्रधान सचिव द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि कैमूर जिला से संबंधित सभी अभिलेख की छाया प्रति कराकर समाहर्त्ता को उपलब्ध करा दें।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल/अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटी, पटना)

➢ डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :–

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा इस बिन्दु पर जिलावार समीक्षा किए जाने के उपरान्त निदेश दिया गया कि जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ भवन निर्माण हो गया हो तो उस भवन में प्लॉअर लगाने की व्यवस्था की

जाय। जहाँ डेटा केन्द्र नहीं बन पाया हे वैसे जिला में डेट केन्द्र बनने तक जिला मुख्यालय में ही प्लॉटर की व्यवस्था की जाय ताकि समाहर्त्ता पूरे जिले का नक्शा निकलवाकर उपलब्ध कराते रहेंगे।

अनुपालन–सभी समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/ सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल

❖ **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :–**

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि भू–अभिलेखों का कम्प्यूट्रीकरण का कार्य किसी भी जिला में पूर्ण नहीं हो सका है। नालंदा जिला में पहले 918 मौजा एवं बाद में 505 मौजा का कम्प्यूट्रीकरण का कार्य किया गया है। चूँकि भेण्डर द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि इस कार्य का अनुश्रवण करने हेतु किन्हीं पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करें जिनके देख–रेख में यह कार्य हो, तो अच्छा फलाफल आयेगा।

समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि यह काम मिनी सर्वे जैसा काम है। इसके लिए प्लाट–टू–प्लाट जाना होगा। चूँकि चालू में खतियान नहीं बना है, अतः पहले चालू खतियान बनाना होगा। उसके बाद ही यह कार्य संभव हो सकेगा। प्रधान सचिव ने बताया कि सर्वप्रथम कर्मचारियों के पास जो पंजी–II उपलब्ध है उसका स्कैन है उसका स्कैन करावे। इस हेतु विभाग द्वारा जिला को आवंटन दिया गया है, वे जिला उस राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को भेज दें ताकि भारत सरकार को भेजा जा सके।

(अनुपालन–सभी समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल)

अन्त में प्रधान सचिव द्वारा दखल–देहानी में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, महादलित को वास भूमि उपलब्ध कराना, भू–हदबंदी की अधिशेष भूमि का वितरण, भूदान आदि के संबंध में बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन समय–समीा के अन्दर सुनिश्चित किए जाय। पटना जिला को आवंटन की आवश्यकता हो तो समाहर्त्ता, पटना विभाग को अवगत करायें। अंचलाधिकारियों को पुनः निदेशित किया जाता है कि बैठक में जिन मामलों पर निर्णय लिए गए उसका अनुपालन समयबद्ध तरीके से करें एवं लगातार शिविर न्यायालय का आयोजन करें। पटना प्रमंडल में बेहतर काम हुआ है। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद।

आयुक्त, पटना प्रमंउल, पटना द्वारा प्रधान सचिव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि गरीब आदमी को घर उपलब्ध कराना तथा उस पर दखल–दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो हमारी प्राथमिकता में होती है वह हो ही जाती है। समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि

सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारी से सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया तथा बैठक में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया।

समाहर्त्ता, पटना के अन्त में कहा कि हमलोग मूल्तः राजस्व पदाधिकारी है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा चार–पांच बिन्दुओं का दिये गये एजेण्डा पर पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

अतः हम सब इस हेतु कार्य करने का संकल्प लें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समापत की गई। ह0/–

विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 465(7) /रा0 पटना–15, दिनांक– 15/4/15

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
Fax/E-mail
प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना प्रमंडल प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

15/4/15
विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।